न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
किशनलाल पुत्र वगताजी जाति विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचोर जिला जालोर		1.किशनाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा तहसील सांचोर जिला जालोर 2.नायब तहसीलदार सांचोर 3.तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील **06/2019**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध सनद आदेश कमांक/4790 दिनांक 11.01.2002 न्यायालय तहसीलदार सांचोर के सनद को निरस्त करवाने हेतु।

....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1- श्री तेजसिंह बालावत अभिभाषक अपीलान्ट
2- श्री सिकन्दर अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 22.10.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर से संबंधित प्रशासन गॉवो के संग अभियान 2001 में नियमन हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व प्रार्थना पत्र में बताया कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा है तथा अन्य कोई रहवासीय मकान नही है।तथा बाडा भी नही है,तथा प्रार्थना पत्र में किशनाराम ने स्वंय को भूमिहीन बताया।उसी के आधार पर तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रशासन गांवो के संग 2001 में दिनांक 11.01.2002 के कमांक 4790 के आदेश के माध्यम से 500 वर्गगज की सनद किशनाराम पुत्र हीराराम निवासी डेडवा ग्राम पंचायत जाखल को खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर की भूमि की सनद का आदेश तहसीलदार सांचोर द्वारा जारी किया गया।उसी के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 27.01.2002 को उपरोक्त नामान्तरणकरण सनद का नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा स्वीकृत किया

गया जिससे आहत होकर अपीलांट निम्न वजुहातो पर न्यायालय में उपरोक्त अपील पेश कर रहा है।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांचोर ने सनद आदेश पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है।अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत जाखल के रहवासी है। तथा दोनो का गांव डेडवा है तथा अपीलांट गांव डेडवा का जागरूक नागरिक है तथा गौरक्षा संबंधी कार्य करता है।खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर की भूमि ग्राम पंचायत जाखल की गोचर भूमि थी।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत उपरोक्त भूमिया प्रतिबंधित भूमिया है जो किसी भी प्रकार से अन्तरण व नियमन नही की जा सकती है।सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर जो गोचर भूमि थी तथा उससे संबंधित पूर्व में तहसीलदार द्वारा संशोधित आदेश कमांक/राजस्थान/99/1084 दिनांक 12.08.1999 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 20.05.1999 की पालना में भूमि ग्राम पंचायत जाखल गोचर दर्ज किया गया है।जिसके नामान्तरणकरण संख्या 22 दिनांक 07.09.1999 नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा स्वीकृत किया गया।इस प्रकार 07.09.1999 को उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत जाखल की गोचर भूमि दर्ज हुई।उससे पूर्व में भूमि संबंधित विवाद था जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न अपील पेश है।किशनाराम पुत्र हीराराम कौम विश्नोई आर्थिक रूप से भूमिधारी व्यक्ति है एवं सम्पन्न व्यक्ति है तथा गांव में पक्के मकान बने हुए है जिसका मूल्य 20,00,000/रूपये है तथा किशनाराम के परिवार में सभी व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है तथा आर्थिक रूप से किशनाराम का परिवार सम्पन्न परिवार है तथा वह गरीब व्यक्ति की श्रेणी में नही आता है।उसके पास गाडी,ट्रेक्टर वगैरा भी स्वंय का है।किशनाराम पुत्र हीराराम ने प्रशासन गांवो के संग में गलत सूचना देकर नियमन हेतु खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में बताया कि वह भूमिहीन व्यक्ति व गरीब व्यक्ति है।उसके नाम से गांव में खातेदारी भूमि डेडवा में है तथा जांच में बताया कि उसके नाम से मकान व बाडा नही है।जबकि प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख को किशनाराम पुत्र हीराराम का गांव डेडवा में पक्का मकान बना हुआ था जिसकी कीमत बीस लाख रूपये है जिसमें जांच अधिकारी ने वास्तविक तथ्य नही बताये।किशनाराम के पेश प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार के पूर्व कब्जा का हवाला नही दिया है तथा प्रार्थी किशनाराम के पेश प्रार्थना पत्र पर जो सन्1989 से कब्जा बताया है उसकी कोई लगातार पी 14 की कोई फर्दो का हवाला नही दिया जो पूर्णत:गलत है।किशनाराम के पूर्व में उपरोक्त खसरा नंबर से संबंधित आंवटन किया जिससे अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा व तहसीलदार सांचोर के द्वारा ग्राम पंचायत जाखल के नाम से ग्राम पंचायत जाखल का गोचर नामान्तरणकरण संख्या 22 जो कि

तहसीलदार सांचोर के आदेश क्रमांक/राज./99/1084 दिनांक 12.08.1999 की पालना में नामान्तरणकरण भर किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि को ग्राम पंचायत जाखल की गोचर भूमि दर्ज की जिसका हवाला उपरोक्त पारित सनद के आदेश में नही दिया तथा किसी प्रकार की जांच नही की गई। किशनाराम के नाम से जारी सनद आदेश काबिले खारिज है। ग्राम पंचायत जाखल के खसरा नंबर 433/907 जो की गोचर भूमि थी उपरोक्त भूमि को किसी व्यक्ति को आवंटन करने से पूर्व ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत से अनुज्ञा नही ली गई तथा सनद जारी करने की प्रक्रिया पूर्णतया विधि विरूद्ध है तथा किशनाराम उपरोक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। दिनांक 16.01.2018 को गांव में बैठकर गांव में कम हो रही गोचर भूमि के बारे में मौजीज व्यक्तियो से चर्चा की तथा गांव में कम हो रहे गायों के चरने हेतु गोचर भूमि के बारे में चर्चा कर गोचर भूमि को बढाने व लोगो ने हडपी गोचर भूमि दर्ज करने हेतु कार्यवाही करने की चर्चा हुई। मेरे द्वारा गांव का आम नागरिक होने के कारण किशनाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी डेडवा के नाम ग्राम पंचायत के गोचर भूमि दर्ज हुई तथा रेकर्ड दस्तावेजो की जानकारी ली गई जिनकी नकले आदेश 04.02.2019 को अपीलांट को प्राप्त हुई। नकले प्राप्त होने से किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि जो गलत रूप से दर्ज हुई जिसकी जानकारी मुझे हुई। उपरोक्त तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जावे तो धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है। अत: अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रशासन गांवो के संग 2001 में ग्राम डेडवा तहसील सांचोर के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर का क्रमांक संख्या 4790 दिनांक 11.01.2002 तहसीलदार सांचोर द्वारा सनद् किशनाराम पुत्र हीराराम कौम विश्नोई निवासी डेडवा के नाम से जारी सनद् के आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 82 दिनांक 27.01.2002 को न्यायालय नायब तहसीलदार सांचोर को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया गया है कि किशनाराम का कब्जा काश्त मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि पर सन्1971 के पहले से चला आ रहा था। इस संबंध में पचायत ने प्रमाण पत्र भी दिया था तथा इस भूमि का रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी रहवास हेतु उपयोग व उपभोग सन् 1971 से ही करता आ रहा है। पटवारी हल्का ने भी आवंटन के पूर्व अपनी जांच रिपोर्ट में किशनाराम रेस्पोडेन्ट का कब्जा व रहवास सन् 1989 से पहले का होना तथा रहवास हेतु कोई अन्य मकान नही होना बताया था। किशनाराम के पास रहवास हेतु कोई मकान नही होने से ही

खसरा नबंर 433/907 में 0.04 हैक्टेयर भूमि की सनद् प्रशासन गांवो की ओर शिविर में दिनांक 08.01.2002 को जारी की गई थी,जिस सनद को कानूनन इस अपील के जरिये खारिज नही की जा सकती है।रेस्पोडेन्ट किशनाराम ने रहवास हेतु उसके कोई मकान व भूमि नही होने से नियमानुसार सनद फीस 130 रूपये जमा सनद के अनुसार करवाये थे तथा उस सनद को कभी भी चैलेंज नही किया गया है।रेस्पोडेन्ट किशनाराम इस भूमि पर मकान बनाकर सन्1981 के पहले से चला आ रहा है तथा सनद जारी हुऐ भी 17 साल से ज्यादा का समय हो चुका है।नियमानुसार गांवो में रहवास हेतु किसी के पास मकान व भूमि नही होने से गोचर भूमि में से भी रहवास हेतु भूमि का आवंटन किया जा सकता था,जिसके तहत ही उक्त भूमि को राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.1971 व संशोधित आदेश के अनुपालना में कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग लाने की ईजाजत देते हुए सनद रेस्पोडेन्ट किशनाराम के नाम से दिनांक 08.01.2002 को जारी की थी।इस प्लॉट पर बने मकान में रेस्पोडेन्ट किशनाराम व उसका परिवार अपीलांट की जानकारी में 20 वर्षो से ज्यादा समय से रहवास करता आ रहा है,फिर भी सिर्फ राजनैतिक द्वेष से अपीलांट ने सनद जारी होने के 17 साल बाद गलतरूप से अपील पेश की है,जो अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।यह भूमि वर्तमान रेकर्ड में गोचर नही है बल्कि गैर मुमकिन दर्ज है।अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के रहवासीय मकान की भूमि में किसी तरह का हित अब गलतरूप से राजनैतिक द्वेष से पैदा होना स्पष्ट है।रेस्पोडेन्ट के इस मकान की भूमि के पास काफी लोगो के रहवासीय मकान आये हुये है, जिससे अब देरीना यह अपील गलतरूप से पेश की गई है।कानूनन सनद जारी करने के आदेश की अपील की जा सकती है,जिस संबंध में अन्दर म्याद किसी तरह की कोई अपील नही की गई है।अत:जबाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया है कि सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि के बाबजूद भी तहसीलदार सांचोर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 2001 में आवंटन करदी जो कानूनन आवंटन किये जाने योग्य नही है।जिस भूमि का आवंटन किया गया वह विवादग्रस्त भूमि है।अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.1999 के जरिये रेस्पोडेन्ट किशनाराम की खातेदारी समाप्त करने पर ग्राम डेडवा के नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 07.09.1999 के जरिये उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत जाखल के खाते में गोचर दर्ज की गई।उक्त भूमि गोचर में दर्ज रहने के बावजूद भी

तहसीलदार सांचोर द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जुलाई 1971 के आधार पर उक्त भूमि किशनाराम पुत्र हीराराम के नाम नियमन कर सनद कमांक/4790 दिनांक 11.02.2002 जारी करदी उक्त सनद के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 27.01.2002 स्वीकृत हुआ जिसमें खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 किस्म गैर मुमकिन का खातेदार किशनाराम वल्द हीराराम दर्ज किया गया है।तहसीलदार सांचोर द्वारा सनद जारी करते वक्त ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है।अपीलांट ग्राम डेडवा का नागरिक है, इसलिये प्रतिबधित गोचर भूमि की सनद जारी होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।अपील प्रस्तुत करने से नाराज होकर रेस्पोडेन्ट मेरी दुकान भी जला दी है।अत:रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन हुई भूमि के आधार पर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 27.01.2002 को खारिज फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट किशनाराम का कब्जा काश्त मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि पर सन्1971 के पहले से चला आ रहा है।जिसका उपयोग रहवास हेतु किया जा रहा है।उक्त भूमि का आवंटन होने से पूर्व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में किशनाराम रेस्पोडेन्ट का कब्जा व रहवास सन् 1989 से पहले का होना तथा रहवास हेतु कोई अन्य मकान नही होना बताया गया था।किशनाराम के पास कोई मकान नही होने से खसरा नंबर 433/907 में रकबा 0.04 हैक्टर भूमि की सनद प्रशासन गॉवो के संग-2001 में दिनांक 08.01.2002 को जारी की गई है।सनद जारी हुये 17 साल से ज्यादा समय हो चुका है।गॉवो मे रहवास हेतु किसी के पास मकान व भूमि नही होने से गोचर भूमि में से भी रहवास हेतु आवंटन किया जा सकता था जिसके तहत राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 03.07.1971 व संशोधित आदेश की पालना में यह सनद जारी हुई है।अपीलांट ने राजनैतिक द्वेष से सनद जारी होने से 17 साल बाद गलत रूप से यह अपील पेश की है।जो म्याद बाहर भी है।उक्त भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज रहने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा आवश्य पक्षकार ग्राम पंचायत को संयोजित नही किया जाने के कारण भी अपील चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।रेस्पोडेन्ट की ओर से कब्जे के समर्थन में दस्तावेज व फोटोग्राफ पेश किये गये है।जिससे भी यह प्रमाणित हो रहा है कि रेस्पोडेन्ट का कब्जा व मकान वर्ष 1989 से पूर्व का है।तहसीलदार द्वारा जारी सनद के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही होकर नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 27.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।जबकि नामान्तरकरण सनद के आधार पर स्वीकृत हुआ है,जब तक सनद आदेश को चैलेन्ज कर निरस्त नही करवाया जाता है तब तक सनद की पालना में स्वीकृत हुये नामान्तरकरण को

कानूनन खारिज नही किया जा सकता है। अत:अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रशासन गॉवो के संग-2001 के दौरान सरहद मौजा डेडवा के खसरा नंबर 433/907 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर का तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 08.01.2002 को किशनाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई के हक में नियमन कर सनद जारी करने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकृत दिनांक 27.01.2002 को खारिज करवाने हेतु अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट प्रभावित प्रक्षकार नही होने के बावजूद भी गॉव का नागरिक होने से यह अपील सनद जारी होने व नामान्तरकरण स्वीकृत होने के 17 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर जो ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज रहने के बावजूद भी ग्राम पंचायत को अपीलांट द्वारा पक्षकार सयोजित नही किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है,रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशनाराम को उक्त भूमि का नियमन वर्ष 1989 तक के मकान बाडे होने के आधार पर दिनांक 08.01. 2002 को नियमन कर सनद जारी की गई है। इसी सनद के आधार पर ग्राम डेडवा का नामान्तरकरण संख्या 82 भरा जाकर दिनांक 27. 01.2002 को स्वीकृत हुआ है। अपीलांट द्वारा नियमन आदेश के आधार पर जारी सनद के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही कर नामान्तरकरण संख्या 82 को खारिज करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि सनद के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत होने में किसी प्रकार की अनियमितता होना नही पाया गया है। तहसीलदार सांचोर द्वारा राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र कमांक-प.9(6) राज-6/2000/16दिनांक 16.10.2001 के अनुसधरण में नियमन किया जाने के आधार पर स्वीकृत हुये नामान्तरकरण संख्या 82 स्वीकृत दिनांक 27.01.2002 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने योग्य नही है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्रसोनी)
जिला कलेक्टर जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.11.26 13:36:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: